न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 02/2016, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल बबली पुत्र बाबूलाल जाति जोगी निवासी बडा महादेव मन्दिर के पास बसवा थाना बसवा जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल बबली पुत्र बाबूलाल स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः–26.03.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना बसवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल बबली पुत्र बाबूलाल जाति जोगी निवासी बडा महादेव मन्दिर के पास बसवा थाना बसवा जिला दौसा के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	कायमी दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	थाना बसवा	07/2011	10.10.2011	323, 451 आईपीसी	6/11	1.11.2011	राजीनामा दिनांक 21.3.2014
2.	थाना बसवा	227/2013	11.11.2013	13 आरपीजीओ	100/2013	26.11.2013	सजा दिनांक 17.4.2013
3.	थाना बसवा	259/2014	13.10.2014	13 आरपीजीओ	138/2014	17.10.2014	सजा दिनांक 19.11.2014

उक्त शख्स बबली पुत्र बाबूलाल जाति जोगी निवासी बडा महादेव मन्दिर के पास बसवा थाना बसवा जिला दौसा जुंआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ खेलने के लिये प्रेरित करता है, जिससे आमजन पर विपरीत प्रभाव पडता है। उक्त गैर सायल आमजन के साथ मारपीट करता रहता है, जिससे इलाके के लोगो में भय व्याप्त हो गया है। गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल नियत तारीख पेशी पर लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध थाना बसवा जिला दौसा में 323,451 आईपीसी में 1 प्रकरण तथा जुंआ सट्टे के अपराध से सम्बन्धित धारा 13 आरपीजीओ के 2 प्रकरण दर्ज है, जिसमे गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुंआ सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियां बढती जा रही है जिससे समाज में अशान्ति उत्पन्न हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.26 17:35:45 IST
Reason: Self Attested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है। अतः गैर सायल बबली पुत्र बाबूलाल जाति जोगी निवासी बडा महादेव मन्दिर के पास बसवा थाना बसवा जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

गैर सायल द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मैं एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है। जो मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनायापन करता हुं। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण काफी पुराने है। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में प्रार्थी को दण्डित भी किया जा चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही लागू नहीं होती है। प्रार्थी मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन करता है। प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे एवं प्रार्थी के विरूद्ध की गई धारा 3 गुण्डा एक्ट अधिनियम की कार्यवाही निरस्त किये जाने का श्रम करें।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरूद्ध पूर्व में धारा 323,451 आईपीसी में 1 प्रकरण एवं धारा 13 आरपीजीओ में दो प्रकरण दर्ज है। धारा 323,451 आईपीसी में दर्ज प्रकरण में राजीनाम हो चुका है एवं धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरणों में प्रार्थी को सजा से दण्डित किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल बबली पुत्र बाबूलाल जाति जोगी निवासी बडा महादेव मन्दिर के पास बसवा थाना बसवा जिला दौसा जुंआ सट्टा खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ सट्टा खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल बबली पुत्र बाबूलाल जाति जोगी निवासी बडा महादेव मन्दिर के पास बसवा थाना बसवा जिला दौसा को दिनांक 27.03.2024 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बसवा के रास्ते होते हुये थाना राजगढ जिला अलवर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना राजगढ जिला अलवर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र राजगढ जिला अलवर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना राजगढ जिला अलवर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं अलवर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.26 17:35:45 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा